

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु प्रोत्साहन पैकेज-2014 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

राज्य के किसानों एवं मजदूरों के हित में चीनी मिलों के तकनीकी उन्नयन और क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने एवं राज्य में नई चीनी मिलों एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु पूँजी निवेश को आकर्षित करने के नीतिगत निर्णय अन्तर्गत गन्ना प्रोत्साहन पैकेज, 2014 की घोषणा की गई है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं VAT के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया है। जिसके आलोक में निर्गत प्रोत्साहन पैकेज, 2014 में संशोधन की आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत प्रोत्साहन पैकेज, 2014 का निम्न प्रकार से संशोधन कर प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(क) विभागीय प्रोत्साहन पैकेज-2014 के निम्न कंडिका में संशोधन :-

- (i) कंडिका-2 (क) (iv) में उल्लेखित "उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति" के स्थान पर "माल एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति" की जायेगी।
- (ii) कंडिका-2 (ख) (iv) में उल्लेखित "वाणिज्य कर (VAT) की प्रतिपूर्ति" के स्थान पर "माल एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति" की जायेगी।
- (iii) उपरोक्त कंडिका-(i) एवं (ii) 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।

3. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.12.2019 की बैठक में मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. शेष पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-593 दिनांक-04.03.2014 यथावत रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुधीर कुमार)

अपर मुख्य सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 01/रेगु.-7-7005/2012

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि०/विभाग के सभी पदाधिकारी/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/सी०आई०आई०, पटना क्षेत्र/बिहार सुगर मिल एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

अपर मुख्य सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 01/रेगु.-7-7005/2012

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.12.2019 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-01 के माध्यम से स्वीकृत विभागीय संलेख ज्ञापांक-1776 दिनांक-22.11.2019 के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर मुख्य सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 01/रेगु.-7-7005/2012

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर मुख्य सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 01/रेगु.-7-7005/2012

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि- माननीया मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर मुख्य सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 01/रेगु.-7-7005/2012 1981

पटना, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि- आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.12.2019

अपर मुख्य सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।